रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 25 फरवरी 2023 ई० (फाल्गुन 6, 1944 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ–जिला पंचायत

जिला पंचायत, बलरामपुर

उपविधि

12 जनवरी, 2022 ई0

सं0 1062 / एल0बी0ए0(उपविधि) / 2022–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा 142 एवं 143 के साथ पठित धारा 239(2) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, बलरामपुर द्वारा जनपद बलरामपुर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय करने वाले कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या अन्य संस्था, राजकीय विभाग, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेके के ठेकेदार या स्थानीय संस्थायें, व्यापारियों / दुकानदार / फर्म / कारखाना मालिक आदि को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु शासन के पत्र संख्या 1152 / 33-2-2017-62जी / 17 पंचायती राज अनुभाग-2, लखनऊ, दिनांक 04 अप्रैल, 2018 के अनुरूप उपविधि बनायी गयी है जो जिला पंचायत बलरामपुर की बैठक दिनाँक 20 अप्रैल, 2022 द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित है। जिला पंचायत बलरामपुर द्वारा उक्त उपविधि के जनसामान्य हेतु समाचार-पत्रों में प्रकाशन के उपरान्त सुझाव एवं आपत्ति आमंत्रित किया गया, परन्तु कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। तत्पश्चात् उक्त उपविधि को शासकीय गजट में प्रकाशन हेतु अनुमोदित किया जाता है।

उपविधि

1–कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप, फर्म या अन्य संस्था राजकीय विभाग, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेके के ठेकेदार या स्थानीय संस्थाए, व्यापारियों / दुकानदारों / फर्म / कारखाना मालिक आदि जनपद बलरामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय / व्यापार जिला पंचायत, बलरामपुर से लाइसेंस प्राप्त करने के उपरान्त ही करेंगे

2–इन उपविधियों के अर्न्तगत दिया जाने वाला लाइसेंस / अनुज्ञा-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जायेगा

(अ) लाइसेंस का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा और तय अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् पुनः नवीनीकरण कराना होगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बलरामपुर

(ब) लाइसेंस नियत शुल्क भुगतान करने के पश्चात् ही जारी किये जायेंगे।

(स) लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यवसायी को व्यवसाय का पूरा विवरण नोटरी हलफनामा के साथ देना होगा।

(द) प्रत्येक लाइसेन्सधारक को अपनी दुकान के सामने एक साइनबोर्ड लगाना होगा, जिस पर दुकान, दुकानदार तथा व्यवसाय का नाम स्पष्ट लिखा होगा।

3—लाइसेंस शुल्क की वसूली जिला पंचायत के कर्मचारियों द्वारा या ठेकेदारों द्वारा की जायेगी एवं लाइसेंस शुल्क के वसूली सम्बन्धी ठेके की नीलामी जिला पंचायत, बलरामपुर द्वारा की जायेगी।

4—जिला पंचायत बलरामपुर के मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत करने पर कार्य अधिकारी, कर अधिकारी, जिला पंचायत के लाइसेंसी अधिकारी होंगे, जिनको इन उपविधियों के अर्न्तगत लाइसेंस देने/बदलने/समाप्त करने, निलम्बित करने, न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने, वापस लेने तथा सुलह करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5—इन उपविधियों का उल्लंघन करने के उपरान्त चलाये गये मुकदमों के दौरान लाइसेंस शुल्क का 50 प्रतिशत सुलहनामा शुल्क के रूप में जमा कराकर लाइसेंस अधिकारी समझौता कर सकेंगे। सुलहनामा शुल्क, लाइसेंस शुल्क व विलम्ब शुल्क के अतिरिक्त होगा।

6—लाइसेंस अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष, जिला पंचायत बलरामपुर को 30 दिन के अन्दर अपील की जा सकती है। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा।

7—लाइसेंस की अवधि प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी।

8—लाइसेन्स प्राप्त करने या उसका नवीनीकरण करने का आवेदन निर्धारित प्रारूप पर दिया जायेगा, जो निर्धारित शुल्क जमा करने पर जिला पंचायत बलरामपुर कार्यालय से प्राप्त होगा। इसका मूल्य रु0 10.00 होगा।

9—खाद्य पदार्थ बनाने वाले दुकानदारों द्वारा ऐसी धातु का बर्तन प्रयोग न किया जाये, जो खाद्य पदार्थ को दूषित करते हो एवं उनमें बनाया गया पदार्थ स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो। खाद्य पदार्थ मे किसी प्रकार की मिलावट न हो।

10—अवयस्क (नाबालिग), किसी छूत की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को लाइसेंस नहीं जारी किया जायेगा।

11—कारखाना मालिकों/पेट्रोल पम्प मालिकों/बड़े व्यवसाइयों को अपने फर्म में साफ-सफाई प्रबंध एवं अग्निशमन यंत्र लगाना अनिवार्य होगा।

12—नाबालिगों से काम कराने पर लाइसेंस निरस्त कर चालान की कार्यवाही कर दी जायेगी।

13—पशु वधशाला/मीट शाप (मुर्गा, बकरा, मछली) वध की दुकान/व्यवसाय करने हेतु जिला पंचायत द्वारा निम्न शर्तों के अधीन लाइसेंस निर्गत किया जायेगा।

(अ) पशु वधशाला/मीट शाप सार्वजनिक मार्ग, सार्वजनिक/धार्मिक स्थल से कम से कम 500 मी0 दूर होना चाहिए तथा इस प्रकार बन्द होगा कि बाहर से किसी व्यक्ति को दिखायी न दे।

(ब) विक्रय हेतु रखे खाद्य पदार्थ पूर्णतया आच्छादित होना चाहिए तथा ऐसी धातु का प्रयोग न हो जिससे खाद्य पदार्थ को किसी प्रकार से विशाक्त या विकृत करते हों।

(स) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के मानकों का अनुपालन आवश्यक होगा, जिसके अर्न्तगत विशेष रूप से पशुओं के प्रति वध-पूर्व प्रक्रमों के अनावश्यक शारीरिक व मानसिक पीड़ा या यातना जहाँ तक सम्भव हो, समाप्त किया जाना।

(द) पशुवध मीट शाप ब्रिकी स्थल पर साफ-सफाई तथा पास की नाली ढकी होना आवश्यक है। अगर निरीक्षण के क्रम में गन्दगी पायी जाती है या संक्रमण रोग फैलने की शंका पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(य) पशु को मारने से पूर्व उसको निकटतम पशु चिकित्सालय के पशुचिकित्सा अधिकारी से उसके स्वस्थ होने तथा दुधारू और गर्भिणी न होने का प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बलरामपुर

(र) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एन0ओ0सी0 अनिवार्य होगा।

(ल) शर्तों के क्रम में रजिस्टर्ड हलफनामा लाइसेंस अधिकारी जिला पंचायत बलरामपुर को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। लाइसेंस फीस जमा करने के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्त अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं करने की दशा में लाइसेंस फीस जब्त कर ली जायेगी। लाइसेंस की अवधि वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी। 01 अप्रैल से पूर्व नवीनीकरण न कराये जाने पर निर्धारित विलम्ब शुल्क देना अनिवार्य होगा।

लाइसेन्स शुल्क निम्नवत् होगा–

क्र0सं0	व्यवसायों का विवरण	पुरानी / वर्तमान दर लाइसेन्स शुल्क (प्रतिवर्ष)	प्रस्तावित लाइसेन्स शुल्क (प्रतिवर्ष)
1	2	3	4
		रु0 (प्रतिवर्ष)	रु0 (प्रतिवर्ष)
1	चीनी मिल	50,000.00	50,000.00
2	क्रेशर हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	500.00	4,000.00
3	क्रेशर नॉन हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	500.00	4,000.00
4	क्रेशर नॉन हाईड्रोलिक नॉन सल्फीटेशन	500.00	2,500.00
5	शक्ति चालित गन्ना पेरने का कोल्हू	500.00	400.00
6	शक्ति चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	500.00	1,000.00
7	हस्त चलित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	50.00	200.00
8	उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर रहा क्रिस्टीलाइजर	–	300.00
9	धान कूटने का मिल (राइस सेलर)	1,500.00	2,500.00
10	एक्सपेलर	100.00	500.00
11	आरा मशीन	500.00	2,000.00
12	खराद मशीन	100.00	1,000.00
13	पावर लूम (प्रत्येक)	–	1,000.00
14	रेशम व कपड़ा बनाने का कारखाना	–	4,000.00
15	सरिया बनाने का कारखाना	–	15,000.00
16	लोहा बनाने का कारखाना (प्रति भठ्ठी)	–	5,000.00
17	बर्फ बनाने का कारखाना (दो सौ सिल्ली तक)	500.00	2,000.00
18	बर्फ बनाने का कारखाना (उपरोक्त से अधिक)	500.00	4,000.00
19	गत्ता बनाने का कारखाना (बड़ा)	–	7,000.00
20	पेपर कोन बनाने का कारखाना	–	4,000.00
21	पेपर रोल बनाने का कारखाना	–	8,000.00
22	कागज बनाने का कारखाना (10 टन क्षमता)	–	10,000.00
23	कागज बनाने का कारखाना (10 टन से अधिक 20 टन क्षमता तक)	–	15,000.00
24	कागज बनाने का कारखाना (20 टन से अधिक 30 टन क्षमता तक)	–	30,000.00
25	कागज बनाने का कारखाना (30 टन क्षमता से अधिक)	–	50,000.00
26	दूध का पाउडर या दूध से अन्य पदार्थ बनाने का कारखाना	500.00	10,000.00
27	चिलिंग प्लाण्ट	1,000.00	8,000.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बलरामपुर

1	2	3	4
		रु0 (प्रतिवर्ष)	रु0 (प्रतिवर्ष)
28	स्टील, आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2'' मोटाई तक)	–	25,000.00
29	स्टील, आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2'' मोटाई अधिक)	–	50,000.00
30	मशीन या यंत्र बनाने का कारखाना	500.00	7,000.00
31	फल, सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50,000 बैग तक)	1,000.00	10,000.00
32	फल, सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50000 बैग से अधिक क्षमता पर)	–	15,000.00
33	पिक्चर ट्यूब बनाने का कारखाना	–	5,000.00
34	हॉटमिक्स प्लान्ट	10,000.00	10,000.00
35	रबड़ की वस्तुएँ बनाने का कारखाना	–	2,000.00
36	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाइल्स बनाने का छोटा कारखाना	500.00	2,000.00
37	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाइल्स बनाने का बड़ा कारखाना	500.00	7,000.00
38	मसाले की ईंट आदि बनाने का कारखाना (सिरेमिक्स)	5,000.00	8,000.00
39	पीतल, एल्यूमिनियम, स्टील, शीशा, ताँबा व टीन आदि से वस्तुएँ बनाना।	–	4,000.00
40	वनस्पति/देशी घी या रिफाइण्ड आयल बनाने का कारखाना	–	15,000.00
41	शराब, स्प्रिट या एल्कोहल बनाने का कारखाना	25,000.00	50,000.00
42	कृषि सम्बन्धी यंत्र बनाने का कारखाना	500.00	4,000.00
43	फर्टिलाइजर या कीटनाशक दवाई बनाने का कारखाना	–	10,000.00
44	खाण्डसारी उद्योग के यंत्र बनाने का कारखाना	500.00	5,000.00
45	प्लास्टिक का दाना, फिल्म या बैग बनाने का कारखाना	–	4,000.00
46	प्लास्टिक के पाइप, टैंक बनाने का कारखाना	–	7,000.00
47	बिजली के सामान बनाने का कारखाना	–	4,000.00
48	कपडा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (छोटा)	–	2,000.00
49	कपडा, कम्बल आदि क़ी रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (बड़ा)	–	8,000.00
50	सीमेन्ट बनाने का कारखाना	–	10,000.00
51	फ्लोर मिल	1,500.00	10,000.00
52	दाल मिल	1,500.00	5,000.00
53	रिईनफोर्स्ड, सीमेंट कंक्रीट आदि के ह्यूम पाइप बनाने का कारखाना	2,000.00	10,000.00
54	टेलीविजन बनाने का कारखाना	–	10,000.00
55	माचिस बनाने का कारखाना	–	10,000.00
56	बटन बनाने का कारखाना	–	6,000.00
57	मोमबत्ती बनाने का कारखाना	200.00	3,000.00
58	विनियर एण्ड शॉ मिल	500.00	7,000.00
59	पेय पदार्थ बनाने का कारखाना/फैक्ट्री	–	50,000.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बलरामपुर

1	2	3	4
		रु0 (प्रतिवर्ष)	रु0 (प्रतिवर्ष)
60	मिनरल वाटर बनाने का कारखाना	1,500.00	15,000.00
61	साकिट बनाने का कारखाना	—	5,000.00
62	प्लाईवुड या माइका बनाने का कारखाना	500.00	10,000.00
63	दवाई बनाने का कारखाना	—	7,000.00
64	गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना	500.00	3,000.00
65	लैमिनेशन का कारखाना	—	5,000.00
66	दूध पैकेजिंग का कारखाना	500.00	6,000.00
67	केमिकल बनाने का कारखाना	—	8,000.00
68	डबल रोटी या बिस्कुट बनाने का कारखाना	200.00	5,000.00
69	गैस आदि बनाने का कारखाना	—	5,000.00
70	गैस के सिलेण्डर का कारखाना	—	8,000.00
71	वेल्डिंग राड्स बनाने का कारखाना	500.00	6,000.00
72	पीतल की राड्स बनाने का कारखाना	500.00	6,000.00
73	ढलाई करने का कारखाना	500.00	6,000.00
74	स्टील अलमारी, बक्से, मेज आदि बनाने का कारखाना	200.00	6,000.00
75	पशु आहार बनाने का कारखाना	2,000.00	5,000.00
76	धागा बनाने का कारखाना	—	4,000.00
77	धागा डबलिंग का कारखाना	—	7,000.00
78	दरी, कालीन आदि बनाने का कारखाना	—	7,000.00
79	साबुन बनाने का कारखाना	—	2,000.00
80	डिटर्जेन्ट बनाने का कारखाना	—	7,000.00
81	पट्टा बनाने का कारखाना	—	3,000.00
82	कमानी पट्टा बनाने का कारखाना	—	7,000.00
83	रबड़ के टायर ट्यूब बनाने का कारखाना	—	15,000.00
84	टायर रिट्रेडिंग	—	4,000.00
85	तिरपाल बनाने का कारखाना	—	10,000.00
86	आतिशबाजी संबंधी सामान बनाने का कारखाना	—	10,000.00
87	ग्रीस, मोबिल आयल,काला तेल आदि बनाने का कारखाना	—	5,000.00
88	चार पहिया बनाने का कारखाना	—	10,0000.00
89	दो पहिया बनाने का कारखाना	—	50,000.00
90	तार बनाने का कारखाना	—	15,000.00
91	तार की जाली बनाने का कारखाना	—	3,500.00
92	लालटेन बनाने का कारखाना	—	3,000.00
93	रेगमाल बनाने का कारखाना	—	4,000.00
94	बैट्री बनाने का कारखाना	—	5,000.00
95	पंखा या कूलर बनाने का कारखाना	—	5,000.00
96	रंग बनाने का कारखाना	—	5,000.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बलरामपुर

1	2	3	4
		रु0 (प्रतिवर्ष)	रु0 (प्रतिवर्ष)
97	गम, टेप बनाने का कारखाना	–	4,000.00
98	आटो मोटर्स बनाने का कारखाना	1,000.00	5,000.00
99	निकिल पॉलिश (प्लेटिंग) करने का कारखानो	–	5,000.00
100	राँगा बनाने का कारखाना	–	5,000.00
101	गैस चूल्हा या उसके पार्ट्स बनाने का कारखाना	200.00	5,000.00
102	हड्डी मिल	–	25,000.00
103	सरेश मिल	–	5,000.00
104	पेट्रोल मिल	–	4,000.00
105	डीजल मिल	–	5,000.00
106	गैस बाटलिंग प्लाण्ट	–	25,000.00
107	सादा या काला नमक बनाने का कारखाना	–	2,000.00
108	प्रिंटिंग प्रेस या आफसेट प्रेस	500.00	2,500.00
109	सिनेमा हाल	1,000.00	4,000.00
110	विडियो सिनेमा हाल.	1,000.00	2,500.00
111	मुर्गा/मुर्गी दाना का कारखाना/फैक्ट्री	2,000.00	3,000.00
112	पेट्रोल पम्प का टैंक बनाने का कारखाना	–	10,000.00
113	रेडीमेड गारमेंट्स का कारखाना	–	15,000.00
114	फोम के गद्दे बनाने का कारखाना	–	15,000.00
115	स्लाटर हाउस/इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग प्लाण्ट	80.00	1,00,000.00
116	ट्रान्सफार्मर फैक्ट्री	–	20,000.00
117	स्टील के बर्तन बनाने का कारखाना	–	15,000.00
118	एयर कण्डीशनर बनाने का कारखाना	–	10,000.00
119	जूट सन व नायलान बनाने का कारखाना	–	5,000.00
120	शीशा बनाने का कारखाना	–	3,000.00
121	पिपरमिंट बनाने का कारखाना	–	2,000.00
122	चमड़ा टेनरी बनाने का कारखाना	–	25,000.00
123	जैविक कारखाना	–	5,000.00
124	फिक्स चिमनी ईंट भट्ठा (01 अक्टूबर के बाद विलम्ब शुल्क रु0 500.00 प्रतिमाह)	10,000.00	15,000.00
125	स्टोन क्रेशर	10,000.00	15,000.00
126	कपड़े की दुकान	200.00	500.00
127	रेडीमेड कपड़े होजरी तथा अन्य कपड़े की बड़ी दुकान	200.00	1,000.00
128	किराना या परचून की दुकान	100.00	500.00
129	गल्ला किराना की बड़ी दुकान	100.00	1,000.00
130	अलमारी एवं बक्शा बिक्री	100.00	500.00
131	स्टील का ग्रिल/बेड इत्यादि की दुकान/निर्माण	100.00	5,000.00
132	कपड़ा परचून की सम्मिलित दुकान	100.00	500.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बलरामपुर

1	2	3	4
		रु0 (प्रतिवर्ष)	रु0 (प्रतिवर्ष)
133	गल्ला थोक या कपड़ा की बड़ी दुकान	200.00	1,000.00
134	बिसातखाना या परचून की सम्मिलित दुकान	100.00	500.00
135	प्रबंधकीय विद्यालय (नर्सरी से कक्षा 5 तक)	–	10,000.00
136	प्रबंधकीय विद्यालय (जूनियर हाई स्कूल/मा0 वि0)	–	20,000.00
137	उच्च शिक्षा प्रबन्धकीय विद्यालय।	–	30,000.00
138	तकनीकी संस्था/प्रशिक्षण संस्था (डिप्लोमा/डिग्री)	–	30,000.00
139	बिसातखाना या परचून की सम्मिलित दुकान बड़ी	100.00	1,000.00
140	केवल बिसातखाना (बिस्कुट व टाफी) कन्फेशनरी	100.00	200.00
141	प्रत्येक होटल या बड़ा ढाबा	500.00	2,000.00
142	केवल चाय या केवल पान	100.00	200.00
143	सीमेन्ट की नाद अथवा जाली	100.00	200.00
144	छोटे ढाबे या चाय हलवाई की सम्मिलित दुकान	100.00	500.00
145	पान मसाला या तम्बाकू की दुकान	100.00	200.00
146	पान मसाला या तम्बाकू थोक का व्यवसाय	100.00	500.00
147	शरबत लस्सी या कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान	100.00	200.00
148	घी-दूध मक्खन वनस्पति सरसो व अन्य तेल की बड़ी दुकान।	100.00	500.00
149	फल एवं सब्जी की सम्मिलित बड़ी दुकान	200.00	500.00
150	सब्जी की दुकान छोटी/फल की दुकान	100.00	200.00
151	पुस्तक कापियाँ स्टेशनरी की दुकान बड़ी	100.00	1,000.00
152	पुस्तक कापियाँ स्टेशनरी की दुकान छोटी	100.00	500.00
153	फोटो स्टूडियो या फोटो की दुकान	100.00	500.00
154	सौन्दर्य प्रसाधन की दुकान	100.00	200.00
155	ब्यूटी पार्लर	100.00	500.00
156	प्रिटिंग प्रेस या छपाई मशीन (प्रति मशीन)	200.00	500.00
157	टाइपराइटर तथा इससे संबधित दुकान	100.00	500.00
158	जूते के अलावा चमड़े से बने सामान स्पंज के गद्दे तकिये आदि की दुकान	100.00	500.00
159	रूई धुनने की मशीन या रुई के बने गद्दे तकिये आदि की दुकान	100.00	500.00
160	फोटो कलर लैब	100.00	1,000.00
161	मेडिकल स्टोर	100.00	1,000.00
162	मेडिकल स्टोर एवं जनरल स्टोर की सम्मिलित दुकान	100.00	1,200.00
163	रासायनिक वस्तुएँ या आयुर्वेदिक औषधियां तथा दवाएँ	100.00	1,000.00
164	केवल सोनारी (आभूषण मरम्मत की दुकान)	50.00	500.00
165	सोने चांदी के आभूषण की दुकान	50.00	1,000.00
166	जूते की दुकान	50.00	500.00
167	टेलर मास्टर या दर्जी की दुकान	50.00	500.00
168	सैलून	50.00	200.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बलरामपुर

1	2	3	4
		रु0 (प्रतिवर्ष)	रु0 (प्रतिवर्ष)
169	फर्नीचर की दुकान	100.00	1,000.00
170	खेल के सामान (हाकी फुटबाल क्रिकेट टेनिस आदि के सामान)	100.00	500.00
171	लोहे के बने सामानों या लोहे की दुकान (छोटी)	100.00	500.00
172	लोहे की बड़ी दुकान (कृषि यन्त्र सहित)	100.00	1,500.00
173	इमारती लकड़ी या फर्नीचर की दुकान	100.00	500.00
174	जलावन लकड़ी की छोटी दुकान	100.00	200.00
175	ईंधन जलाने वाला कोयला या लकड़ी की टाल	100.00	200.00
176	फुटकर मिट्टी का तेल मोबिल या डीजल या स्पिरिट की दुकान	100.00	500.00
177	पेटी डीजल	—	2,500.00
178	बालू, सीमेंट तथा मोरंग की दुकान	200.00	1,000.00
179	केवल चूना या कूची की दुकान	100.00	200.00
180	वार्निश पेंट या भवन रंगाई सम्बन्धित अन्य सामान जैसे एंगल दरवाजा खिड़की पत्थर पटिया की सम्मिलित दुकान	200.00	500.00
181	भवन निर्माण से सम्बन्धित अन्य सामान जैसे एंगल दरवाजा खिड़की पत्थर की पटिया की सम्मिलित दुकान	200.00	500.00
182	इमारती पत्थर या पटिया या दरवाजा या खिड़की की दुकान	200.00	500.00
183	बर्तन की दुकान (केवल लोहे या एल्युमिनियम)	100.00	500.00
184	पीतल तांबा आदि बर्तन की दुकान	100.00	500.00
185	केवल स्टील के बर्तन की दुकान	100.00	500.00
186	हर प्रकार की सूती व सूत कातने की दुकान	100.00	500.00
187	नया साइकिल बिक्री की दुकान	200.00	500.00
188	साइकिल मरम्मत व पुर्जे की दुकान	100.00	200.00
189	साइकिल को छोड़कर बड़े वाहनों के टायर ट्यूब की दुकान	200.00	1,000.00
190	(1) मोटर, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर के पार्ट की दुकान	100.00	1,000.00
	(2) मोटरसाइकिल के पार्ट की दुकान	100.00	500.00
191	(1) मोटर या अन्य बड़े वाहनों के मरम्मत की दुकान या सर्विस सेंटर	100.00	1,000.00
	(2) मोटरसाइकिल के मरम्मत की दुकान	100.00	500.00
192	खराद/वेल्डिंग/ड्रिलिंग की दुकान	250.00	500.00
193	कृषि संबंधित बीज व खाद की दुकान	200.00	1,000.00
194	केवल बीज या केवल खाद की दुकान (फुटकर)	100.00	500.00
195	बीज एवं खाद गोदाम	200.00	1,000.00
196	कृषि संबंधित मशीनरी या औजार की दुकान	200.00	500.00
197	पम्पिंगसेट व डीजल इंजन की दुकान	200.00	1,000.00
198	पम्पिंगसेट व डीजल इंजन पार्टस की दुकान	200.00	500.00
199	घड़ी मरम्मत की दुकान	100.00	500.00
200	घड़ी की दुकान बिक्री	100.00	500.00
201	बिजली के सामान की बिक्री की दुकान/मरम्मत	100.00	500.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बलरामपुर

1	2	3	4
		रु0 (प्रतिवर्ष)	रु0 (प्रतिवर्ष)
202	बिजली के सामान के साथ रेडियों टी0वी0 पंखे आदि घरेलू सामान उपकरण की बिक्री	100.00	1,000.00
203	केवल भूसा एवं खरी/पशु आहार, की दुकान	100.00	500.00
204	टेंट हाउस (छोटा)	100.00	1,000.00
205	टेंट हाउस (बड़ा)	200.00	2,000.00
206	कोल्ड स्टोरेज (पावर या अन्य विधि से)	1000.00	10,000.00
207	कपड़े की छपाई व रंगाई की दुकान (कम्प्यूटर इम्ब्राइडरी)	500.00	5,000.00
208	कबाड़ी व्यवसाय	200.00	500.00
209	दाल की मशीन (छोटी)	1500.00	2,000.00
210	दाल अथवा राइस मिल (पावर या अन्य विधि से)	1500.00	2,000.00
211	प्लास्टिक का सामान (रस्सी थैला टोकरी) बनाने का कारखाना	—	500.00
212	प्लास्टिक का सामान (उपरोक्त के अतिरिक्त) बनाने का कारखाना	—	1,000.00
213	विडियो फिल्म या इसके प्रदर्शन का व्यवसाय	200.00	1,000.00
214	विडियो फिल्म या आडियो सम्बन्धित कैसेट की दुकान	100.00	200.00
215	संगीत या सजावट सम्बन्धित उपकरण की दुकान	100.00	500.00
216	घी एवं वनस्पति अथवा तेल उत्पादन की फैक्ट्री	1,000.00	10,000.00
217	सीमेन्ट या गिट्टी से बनने वाले सामान का कारखाना बड़ा	1,000.00	25,000.00
218	सीमेन्ट से पौधे लगाने वाले गमले का व्यवसाय	200.00	500.00
219	भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले (रंग पेंट एंगल दरवाजा खिड़की व सेनेटरी सामान) बनाने का कारखाना	500.00	10,000.00
220	रबर या प्लास्टिक से बनने वाले सामानों का कारखाना	100.00	1,000.00
221	पोल्ट्री फार्म	200.00	2,000.00
222	कृषि सम्बन्धित उपकरण बनाने का कारखाना	500.00	2,000.00
223	कार्बन या कार्बन पेपर बनाने का कारखाना	—	2,000.00
224	बेकरी बिस्कुट डबल रोटी बनाने का कारखाना बड़ा	100.00	1,000.00
225	बेकरी बिस्कुट डबल रोटी बनाने का कारखाना छोटा	100.00	500.00
226	रासायनिक दवाओं के बनाने का कारखाना	—	1,000.00
227	चीनी या खांडसारी के उत्पादन का व्यवसाय	200.00	1,000.00
228	खोवा छेना आदि के निर्माण की भट्ठी	200.00	1,000.00
229	ट्रांसपोर्ट व्यवसाय	—	10,000.00
230	प्रॉपर्टी डीलर एवं एजेन्ट	—	10,000.00
231	दूध का पाउडर तथा इससे संबंधित अन्य सामान के उत्पादन का कारखाना	500.00	5,000.00
232	चीनी मिट्टी एवं बर्तन बनाने का कारखाना	500.00	2,000.00
233	शीशें का सामान बनाने का कारखाना	—	2,000.00
234	सिगरेट बीड़ी बनाने का कारखाना	—	2,000.00
235	गोदाम (छोटा)	200.00	1,000.00
236	गोदाम (बड़ा)	500.00	2,000.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बलरामपुर

1	2	3	4
		रु0 (प्रतिवर्ष)	रु0 (प्रतिवर्ष)
237	हड्डी पीसने का कारखाना	—	2,000.00
238	तकनीकी विज्ञान के सामान बनाने का कारखाना	—	2,000.00
239	रेस्टोरेंट / भोजनालय	100.00	5,000.00
240	हॉस्टल लॉजिंग गेस्ट हाउस (10 शैया तक)	—	5,000.00
241	हॉस्टल लॉजिंग गेस्ट हाउस (10 शैया ऊपर)	—	10,000.00
242	क्लीनिक (बिना बेड के) / (1360 वर्ग फीट से ऊपर)	500.00	2,000.00
243	नर्सिंग होम (10 बेड तक) / (1360 वर्ग फीट से ऊपर 10000 वर्ग फीट तक)	500.00	10,000.00
244	प्रसूति गृह (10 बेड)	500.00	10,000.00
245	पैथॉलाजी	500.00	2,000.00
246	एक्सरे / अल्ट्रासाउण्ड	500.00	10,000.00
247	मोटर साइकिल / स्कूटर ब्रिकी (एजेन्सी)	5,000.00	10,000.00
248	मोटर कार बिक्री (एजेन्सी)	—	20,000.00
249	आटो रिक्शा बिक्री (एजेन्सी)	—	5,000.00
250	रिक्शा ट्राली बिक्री (एजेन्सी)	—	2,000.00
251	मोटर गैरेज	1,000.00	2,000.00
252	आइसक्रीम फैक्ट्री	1,500.00	2,000.00
253	कैटरिंग सर्विस	—	2,000.00
254	आर्किटेक्ट / कसल्टेन्ट / चार्टर्ड एकाउन्टेंट	—	10,000.00
255	फाइनेन्स एण्ड चिट फण्ड	—	5,000.00
256	तेल मिल	—	2,000.00
257	तेल कोल्हू (स्पेलर) (01 अप्रैल के बाद मु0 10.00 रु0 प्रतिमाह विलम्ब शुल्क)	100.00	500.00
258	आटा चक्की (01 अप्रैल के बाद मु0 10.00 रु0 प्रतिमाह विलम्ब शुल्क)	100.00	500.00
259	धान मशीन (01 अप्रैल के बाद मु0 10.00 रु0 प्रतिमाह विलम्ब शुल्क)	100.00	500.00
260	राइस प्लान्ट / राइस प्लान्ट ट्रैक्टर चालित (01 अप्रैल के बाद मु0 रु0 200.00 वार्षिक विलम्ब शुल्क)	1,500.00	2,000.00
261	कालोनाइजर / बिल्डर्स	—	25,000.00
262	कम्प्यूटर की दुकान	100.00	10,000.00
263	विद्युत् ट्रान्सफार्मर मरम्मत	—	1,000.00
264	मोबाइल स्टोर / मरम्मत	100.00	500.00
265	चश्मा (आप्टिकल दुकान)	100.00	500.00
266	नमकीन एवं पेठा बनाने का कारखाना	200.00	2,000.00
267	ठेका देशी शराब	1,500.00	2,500.00
268	ठेका विदेशी शराब	1,500.00	2,500.00
269	बियर	1,500.00	2,500.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बलरामपुर

1	2	3	4
		रु0 (प्रतिवर्ष)	रु0 (प्रतिवर्ष)
270	भांग	1,500.00	2,000.00
271	धर्मकाँटा	2,000.00	2,500.00
272	मीट शाप (मुर्गा बकरा मछली) आदि	80.00	1,000.00
273	इण्टरलाकिंग टाइल निर्माण उद्योग	5,000.00	10,000.00
274	ट्रक/बस के बॉडी का मरम्मत कारखाना	500.00	10,000.00
275	टोल प्लाजा	–	50,000.00
276	गैस एजेन्सी	5,000.00	10,000.00
277	मैरिज हाल	1,000.00	10,000.00
278	पेट्रोल/डीजल पम्प	5,000.00	10,000.00
279	राशन डीलर/सस्ते गल्ले की सरकारी दुकान	–	1,000.00
280	पानी से वर्फ (कुल्फी) बनाने का कारखाना।	500.00	2,000.00
281	अन्य प्रकार के दुकान/व्यवसाय जो उपरोक्त वर्गीकरण में नहीं हैं।	500.00	500.00
282	अन्य प्रकार के कारखाने जो उपरोक्त वर्गीकरण में नहीं हैं/बड़े व्यवसाय।	500.00	2,000.00

नोट :–

1. नये व्यवसाय पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देय होगा।
2. 30 अप्रैल के बाद नवीनीकरण कराने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त विलम्ब शुल्क देय होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त उद्योगों को निम्न श्रेणी में विभक्त करते हुए अधिकतम लाइसेंस फीस सम्मुख अंकित धनराशि के अन्तर्गत की जा सकती है–

क्र0सं0	मद/व्यवसाय का नाम/कारखाने का नाम	प्रस्तावित लाईसेंस शुल्क
1	सूक्ष्म/कुटीर उद्योग (माइक्रो) लागत पच्चीस लाख तक	1,000.00 से 5,000.00 तक
2	लघु उद्योग (लागत 25 लाख 5 करोड़ तक)	6,000.00 से 20,000.00 तक
3	मध्यम उद्योग (लागत 5 करोड़ से 10 करोड़ तक)	21,000.00 से 5,00,000.00 तक
4	भारी उद्योग (लागत 10 करोड़ से अधिक तक)	51,000.00 से 1,00,000.00 तक

लाइसेंस की दर प्रत्येक 3 वर्ष पर 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ निर्धारित की जायेगी, जिसकी स्वीकृति जिला पंचायत बलरामपुर बोर्ड में निहित होगी। कोई व्यक्ति फर्म कम्पनी आदि कोई ऐसी सूचना नहीं देगें जो असत्य हो या इन उपविधियों से सम्बंधित कोई ऐसी सूचना जिसे अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी तथा जिला पंचायत का कोई अन्य कर्मचारी जिनकी नियुक्ति इस कार्य के लिए की गयी हो माँगे तो देने से इंकार नही

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बलरामपुर

करेंगे। उ0प्र0 क्षेत्र एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-242 में दिये गये प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत बलरामपुर द्वारा बनाई गई उपविधि को अनुमोदित/स्वीकृति प्रदान की जाती है।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत बलरामपुर निर्देश देती है कि उपरोक्त उपनियमों में से किसी भी उपनियम का उल्लघंन करने पर उल्लघनकर्ता का दोष सिद्ध होने पर रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया) तक अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा दोष सिद्ध होने के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसमें उल्लंघन जारी रहा है, रुपये 50.00 (पचास रुपये) प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड दिया जा सकता है और अर्थ दण्ड न अदा करने पर विधिक कार्यवाही कर तीन माह का कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

अतः यह उपविधि गजट में प्रकाशन होने के तिथि से लागू होगी, जिसके उपरान्त इस विषय से सम्बन्धित पूर्व में प्रचलित उपविधियां स्वतः निरस्त हो जायेंगी।

एम0 पी0 अग्रवाल,
आयुक्त,
देवीपाटन मण्डल,
गोण्डा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बलरामपुर

पी0एस0यू0पी0–48 हिन्दी गजट–भाग 3–2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।